छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2018/155 नया रायपुर, दिनांक 24/05/2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाडा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– दिनांक 10 एवं 11 जून 2018 को पेसा क्षेत्र में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन विषयक ।

——0——

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पेसा क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की संस्कृति, परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के संरक्षण के साथ–साथ चहुंमुखी विकास के लिये कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 'क' से 'च' तक में पेसा के संबंध में प्रावधान किये गये है।

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा पेसा पंचायतों में किये गये कार्यों, उपलब्धियों तथा योजनाओं से आम जनता को अवगत कराने तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन के लिये 10 एवं 11 जून, 2018 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त तिथियों में आयोजित ग्राम सभाओं में निम्नलिखित विभागों के योजनाओं की जानकारी एवं उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराया जायेगा :–

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
3. वन विभाग
4. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

प्रदेश में 27 जिलों में से 13 जिले पूर्णतः एवं 6 जिले अंशतः पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आते है, जिनमें 5055 ग्राम पंचायते स्थापित है।

अतः आपके जिले के अंतर्गत पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अधीन ग्रामों में **दिनांक 10 एवं 11 जून, 2018 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाये।**

कृपया विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के पश्चात् प्रतिवेदन संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को दिनांक 20.06.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।

(आर.पी.मंडल) 24/5/18
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 22 / 2018 / 156 नया रायपुर, दिनांक 24 / 05 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ ।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / वन विभाग / आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाडा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपसंचालक, पंचायत, जिला नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाडा, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Mandal 24/5/18

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग